अपील सूचना अधिकार संख्या 141/2020 (GCMS 2020/00241) एडवोकेट गोपाल सिंह निवासी बी/बी–2, नवलखा अपार्टमेंट, भारत माता पथ, सी–स्कीम, जयपुर (राज.) (मोबाईल नं. 98299–95829) बनाम उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

22.03.2021

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी गोपाल सिंह उपस्थित नहीं है। मैनें पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी ने लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ से अपने प्रार्थना पत्र दिनांक 28.08.2020 के द्वारा छः बिन्दुओं की सूचना चाही थी और जो उसे उनके द्वारा आज दिनांक तक उपलब्ध नहीं करवाई गई है, इसलिए उसने लोक सूचना अधिकारी पर सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19(8)(बी) के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी के वेतन में से 50,000/– रूपये का हर्जा खर्चा प्रतिकर के रूप में दिलवाया जावे और उसे सम्पूर्ण सूचना निःशुल्क दिलवाने की प्रार्थना की है।

अपीलार्थी गोपाल सिंह ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 28.08.2020 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी से निम्न सूचना चाही थी :

> दिनांक 02.09.2020 को श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर ने तहसीलदार महोदय को एक पत्र भेजा था। उक्त भेजे गये पत्र का विषय **"सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर में पर्यावरण को हानि पहुंचाकर, वातावरण को प्रदूषित कर, बाल श्रमिकों से काम करवाकर, मिट्टी चोरी कर, पेड़ो की अवैध रूप से ट्यूबेल खोदकर, भूमि कनवर्जन कराये बिना, मजदूरों का पुलिस वेरिफिकेशन कराये बिना, राष्ट्रीय हरित अधिकरण(एजीटी) से एनओसी प्राप्त किये बिना अवैध रूप से ईंट भट्टों का संचालन करने वाले पवन ईंट भट्टा, दीपिका ईंट भट्टा, बागड़ी ईंट भट्टा आदि के भट्टा मालिकों के विरूद्ध संख्त से सख्त कार्यवाही कर उक्त ईंट भट्टों को तुरन्त प्रभाव से बन्द करने हेतु" था।** उक्त भेजे गये पत्र के संबंध में निम्नलिखित सत्यापित सूचनाएं अतित्वरित प्रेषित करें :

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

1. यह है कि उक्त भेजे गये पत्र की प्रति मय संलग्न दस्तावेज।
2. यह है कि उक्त भेजे गये पत्र के डाक आवक जावक रजिस्टर की प्रति।
3. यह है कि उक्त भेजे गये पत्र पर चलाई गई समस्त नोटशीटें।
4. यह है कि संबंधित समस्त पत्रावली के आगे व पीछे के फाईल कवर
5. यह है कि उक्त पत्र पर आपके विभाग कार्यालय की ओर से की गई समस्त कार्यवही से संबंधित समस्त दस्तावेज।
6. यह है कि उक्त भेजे गये पत्र के संबंध में संधारित की गई समस्त पत्रावलियों में शामिल समस्त दस्तावेजों की कुल संख्या पत्रावलीवार बतावें।

लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ ने अपने पत्रांक राजस्व/सूकाअ/2020/6734 दिनांक 08.10.2020 से अपील का जवाब निम्नानुसार प्रेषित किया है:

उपर्युक्त विषयान्र्तगत प्रसांगिक पत्र के क्रम में चाही गई सूचना निम्न प्रकार है :

1. दिनांक 11.08.2020 को प्रेषित पत्र की प्रमाणित पत्र संलग्न है।
2. दिनांक 11.08.2020 को प्रेषित पत्र के डाक आवक जावक रजिस्टर की प्रमाणित प्रति संलग्न है।
3. दिनांक 11.08.2020 को प्रेषित पत्र पर नोटशीट नहीं चलाई गई है।
4. दिनांक 11.08.2020 को प्रेषित पत्र के आगे व पीछे फाईल कवर नहीं हैं
5. दिनांक 11.08.2020 को प्रेषित पत्र पर इस कार्यालय द्वारा तहसीलदार, सूरतगढ को जारी पत्रांक राजस्व/विविध/2020/6067 दिनांक 02.09.2020 की प्रमाणित प्रति संलग्न है।

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

6. दिनांक 11.08.2020 को प्रेषित पत्र के संबंध में दस्तावेजों की कुल संख्या 04 है।

संलग्न : उपरोक्तानुसार।

-sd-
लोक सूचना अधिकारी
एवं उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

चूंकि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचनाओं के सम्बन्ध में लोक सूचना अधिकारी द्वारा आवेदक द्वारा चाही गई सूचनाओं के सम्बन्ध में दिनांक 08.10.2020 से सूचनाएं उपलब्ध करवाई जा चुकी है। **सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 3 के तहत सूचना प्राप्ति का अधिकार केवल नागरिक को है तथा अधिवक्ता (एडवोकेट) नागरिक शब्द की परिभाषा में नहीं आता है।** अधिवक्ता कृत्रिम व्यक्ति की श्रेणी में आता है। इसलिए प्रार्थी को अधिवक्ता होने के कारण सूचना प्राप्त करने का अधिकार नहीं है **फिर भी लोक सूचना अधिकारी द्वारा उसे वांछित सूचनाएं दी चुकी है।** इसलिए अपीलार्थी की अपील खारिज करने योग्य है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर अप्रार्थी की अपील खारिज की जाती है आदेश की प्रति उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ को पालनार्थ एवं अपीलार्थी को सूचनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब़ तकमील दाखि़ल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 22.03.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(महावीर प्रसाद वर्मा)
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर